संख्या– /XIV–2/2018/3(13)/2013

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग,
उत्तराखण्ड काशीपुर,
जनपद ऊधमसिंहनगर।

सहकारिता गन्ना एवं चीनी उद्योग अनुभाग–2 देहरादून दिनांक: 02 फरवरी, 2018

विषय: वित्तीय वर्ष 2017–18 के बजट में अनुदान संख्या–7, 2040–बिक्री व्यापार आदि पर कर, 800–अन्य व्यय, 04–गन्ना के क्रय कर के सापेक्ष "शक्कर विशेष निधि" का अन्तरण, 48–अन्तलेखा संक्रमण मद में प्राविधानित धनराशि रू0 808.56 लाख के सापेक्ष रू0 122.00 लाख को पी0एल0ए0 में हस्तान्तरण करते हुए स्वीकृत/अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या–2314/शक्कर विशेष निधि/2017–18 दिनांक 15.01.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2017–18 के बजट में अनुदान संख्या–7, 2040–बिक्री व्यापार आदि पर कर, 800–अन्य व्यय, 04–गन्ना के क्रय कर के सापेक्ष "शक्कर विशेष निधि" का अन्तरण, 48–अन्तलेखा संक्रमण मद में प्राविधानित धनराशि रू0 808.56 लाख के सापेक्ष रू0 122.00 लाख को पी0एल0ए0 में हस्तान्तरण करते हुए स्वीकृत/अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–610/XXVII(1)/2017, दिनांक 30 जून, 2017 के प्राविधानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये उल्लिखित शासनादेश के अनुक्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक (आयोजनेत्तर पक्ष) के वचनबद्ध मद की संलग्न अलोटमेंट आई0डी0.संख्या–S1802070004 दिनांक: 01 फरवरी, 2018 के अनुसार कुल रू. 122.00 लाख (रू. एक करोड़, बाईस लाख मात्र) की धनराशि शक्कर विशेष निधि की उपनिधि गन्ना शोध एवं विकास निधि से पोषित सांख्यकीय परियोजना एवं गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, काशीपुर के कार्मिकों के वेतन एवं प्रशासनिक व्यय, प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर होने वाले व्ययों हेतु पूर्व से निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3– उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के अनुदान संख्या–07 के लेखा शीर्षक–2040–बिक्री व्यापार आदि पर कर–800–अन्य व्यय–04–गन्ना के क्रयकर के सापेक्ष शक्कर विशेष निधि को अन्तरण–48–अन्य लेखा संक्रमण के नामें डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–159/XXVII(4)/2018, दिनांकः 01.02.2018 में प्राप्त उनकी सहमति के कम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव।

संख्याः 105 (1)/XIV-2/2018/03(13)/2013 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं उत्तराखण्ड 23 लक्ष्मी रोड़ देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद–ऊधमसिंहनगर।
4. उपकोषाधिकारी, काशीपुर/ऊधमसिंहनगर।
5. सहायक गन्ना आयुक्त, हरिद्वार/नैनीताल/देहरादून।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव।